e-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01 / भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)–14 / 2021 1751 पटना, दिनांक : 22-06-2021

आदेश

दिनांक 31.05.2021 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा Zoom के माध्यम से शेखपुरा एवं सुपौल जिले में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इन दोनों जिलों के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में सर्वे कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के संबंध में श्री विद्यानंद विवेक (ID No. ASO00183) , विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी– सह–शिविर प्रभारी, घाटकुसुम्भा, शिविर–2 पृच्छा करने पर इनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। बैठक के दौरान वरीय पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि ये प्रायः शिविर में उपस्थित नहीं रहते हैं तथा इनके द्वारा कार्यों में अभिरूचि नहीं ली जाती है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा बैठक में यह भी सूचना दी गई कि इनसे जब कार्यो की प्रगति के संदर्भ में पृच्छा की जाती है, तो इनके द्वारा भ्रामक जानकारी देकर कार्यों में अनावश्यक विलंब किया जाता रहा है।

उक्त सूचना के आलोक में निदेशालय के ज्ञापांक–1596 दिनाक–09.06.2021 द्वारा श्री विद्यानंद विवेक, विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–शिविर प्रभारी, घाटकुसुम्भा, शिविर–2 से तीन दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण ई–मेल के माध्यम से समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। निदेशालय कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में आरोप को प्रमाणित मानते हुए निदेशालय स्तर पर संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त स्पष्ट आदेश के बावजूद श्री विद्यानंद विवेक द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि एवं समय तक समर्पित नहीं किया गया है। इनका स्पष्टीकरण आज दिनांक 21.06.2021 तक कार्यालय को अप्राप्त है। इनका इस प्रकार का कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के साथ ही कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता दर्शाता है, साथ ही वरीय पदाधिकारियों द्वारा इनके विरूद्ध दी गई सूचना की सम्पुष्टि होती है। इनके कृत्यों से स्पष्ट है कि इन्हें कार्य करने में कोई रूचि नहीं है।

अतः अपना पक्ष रखने हेतु अवसर देने के बावजूद भी स्पष्टीकरण नहीं समर्पित करने की स्थिति में आरोप को प्रमाणित मानते हुए **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली–2019''** के नियम 8(4) के तहत श्री विद्यानंद विवेक (ID No. ASO00183) , विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी– सह–शिविर प्रभारी, घाटकुसुम्भा, शिविर–2 का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 22/6/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांकः – 01 / भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)–14 / 2021 1751 पटना, दिनांक :– 22-06-2021

प्रतिलिपिः– श्री विद्यानंद विवेक (ID No. ASO00183), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी– सह–शिविर प्रभारी, घाटकुसुम्भा, शिविर–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 22/6/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 01 / भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)–14 / 2021 1751 पटना, दिनांक :– 22-06-2021

प्रतिलिपिः– बंदोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 22/6/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2021\Rakesh Kumar\Order\14_2021_22.06.2021-3.doc

ज्ञापांकः – 01/भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)–14/2021 1751 **पटना, दिनांक** :– 22-06-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 22/6/21

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 01/भू0अ0नि0(3) नियोजन (सेवा मुक्ति)–14/2021 1751 **पटना, दिनांक** :– 22-06-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 22/6/21

भू–अभिलेख एवं परिमाप